[illegible] (नागौर)

26.8.21 - पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। बहस उभय पक्ष सुनी गई। ~~[illegible]~~ आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलक्टर
एवं पदेन [illegible] अधिकारी
डेगाना (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड–अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 96 / 2020

प्रार्थी – धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सिरासना तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण – 1. तहसीलदार डेगाना
2. उगमाराम पुत्र हरलाल
3. तुलछाराम पुत्र हरलाल
4. पुनाराम पुत्र हरलाल
5. मेवाराम पुत्र हरलाल
6. सायरी पत्नी हरलाल जातियान जाट निवासीगण सिरासना तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी – हर्षा चौधरी
अधिवक्ता अप्रार्थी– सुमन कंवर

दिनांक 26.08.2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सिरासना की सरहद में जमीन खेत खसरा नंबर 790 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 898 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नंबर 900 रकबा 1.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 901 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 909 रकबा 2.57 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त जमीन प्रार्थी की सह खातेदारी सुदा भूमि है जिसके पुराने खसरा नंबर 583, 585, 657, 658, 659 है। प्रार्थी का सही नाम धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल है जो नाम इनके आधारा कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजात में दर्ज है। प्रार्थी के पिता हरलाल का देहान्त होने पर उक्त भूमि में जो फौतगी नामान्तकरण भरा गया उसमें प्रार्थी का गलती अथवा सहवन से नाम धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल के स्थान पर जस्साराम पुत्र हरलाल दर्ज कर दिया गया। धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल व जस्साराम पुत्र हरलाल नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। मुतनाजा खसरान में प्रार्थी का सही नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जिससे यह प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ती पेश किया गया है। अगर उक्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थी का नाम जस्साराम पुत्र हरलाल के स्थान पर धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल किया जाता है तो किसी को कोई हानि नहीं होने वाली है। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 मुतनाजा खसरान में सह खातेदार होने से इन्हे पक्षकार बनाया गया है जिनके इस प्रार्थना पत्र में कोई हक हित निहीत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुतनाजा जमीन की खातेदारी में प्रार्थी का नाम जस्साराम

सहायक कलक्टर

पुत्र हरलाल के स्थान पर धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की ओर से प्रार्थी के पक्ष में इकबाली जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि मुतनाजा खसरान में प्रार्थी का नाम जस्साराम पुत्र हरलाल सहखातेदारी में दर्ज है। मजमेआम में उपस्थित मौतबरान ने बताया कि जस्साराम के गॉव में दो नाम प्रचलित है एक जस्साराम एवं दूसरा धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल है। धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल व जस्साराम पुत्र हरलाल नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। इस नाम का इस गॉव में अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी का सही नाम धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल ही है तथा सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल ही दर्ज है

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित जमीन की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम जस्साराम पुत्र हरलाल दर्ज है। तहसीलदार डेगाना के द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 603 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि फौतगी नामान्तकरण से प्रार्थी का नाम जस्साराम पुत्र हरलाल दर्ज हुआ है। हरलाल के अन्य वारिसान अप्रार्थीगण जो प्रार्थी के भाई व माता है इन्होने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया है व उक्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थी का नाम जस्साराम पुत्र हरलाल के स्थान पर धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है। अगर उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र अंकित किया जाता है तो किसी अन्य पक्ष को कोई हानि होना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 के इकबाली जवाब के आधार पर मुतनाजा जमीन की खातेदारी में प्रार्थी का नाम जस्साराम पुत्र हरलाल के स्थान पर धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार डेगाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व सिरासना की सरहद में जमीन खेत खसरा नंबर 790 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 898 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नंबर 900 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 901 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 909 रकबा 2.57 हैक्टेयर में दर्ज नाम जस्साराम पुत्र हरलाल के स्थान पर धर्मेन्द्र उर्फ जस्साराम पुत्र हरलाल दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष खाता यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 26/8/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)